

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

कार्यालय आदेश

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षकों के सेवानिवृत्त उपरान्त नव नियुक्त शिक्षकों को आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए विद्या परिषद का सदस्य नामित किया जाता है :-

अधिनियम की धारा	नामांकन का स्वरूप	नामांकन का स्तर	सेवा निवृत्त शिक्षक का नाम	विद्या परिषद के नव नियुक्त सदस्य
24-(3)(छ)	ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन आचार्य	कुलपति द्वारा नामित सदस्य	प्रो० सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, विद्युत अभियंत्रण विभाग	प्रो० अमर नाथ तिवारी, आचार्य, विद्युत अभियंत्रण विभाग
24-(3)(ज)	कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट अध्यापन कर्मचारीवृद्ध के दो सदस्य, जिनमें से एक क्रमशः सह-आचार्य और सहायक आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा।	कुलपति द्वारा नामित सदस्य	डा० राम दुलार, सह-आचार्य, जनपदीय अभियंत्रण विभाग	डा० राजन मिश्रा, सह आचार्य, विद्युतकण एवं संचार अभियंत्रण विभाग

समिति के नव नियुक्त सम्मानित सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया उक्त से अवगत होने एवं तदनुसार विश्वविद्यालय के विकास में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

पृ०सं०/मा०प्रौ०वि०/कुस०का०/1539/2026

दिनांक


कुलसचिव
06/07/26
06 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 उपरोक्त सम्मानित सदस्यगण को (नाम से)
- 02 समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष।
- 03 परीक्षा नियंत्रक।
- 04 वित्त नियंत्रक।
- 05 उप-कुलसचिव।
- 06 प्रभारी वेबसाइट।
- 07 व्यक्तिगत पत्रावली, संबंधित शिक्षक।
- 08 वै० सहायक, कुलपति को मा० कुलपति महोदया के सादर अवलोकनार्थ।


कुलसचिव